

२०१७/०००५६

२५

नवाबसिंह / द्वारिका

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ

(राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बसईनबाब)

पीठासीन अधिकारी -विनोद कुमार मीना आर० ए० एस०

प्रकरण संख्या-21/2017

1-नबाबसिंह 2-बनैसिंह 3-सियाराम 4-भारतसिंह 5-बीरबलसिंह पिसरान स्व० श्री गजसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भदियाना तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

6-मुस० द्रोपती पत्नी स्व०श्री गजसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भदियाना तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

7-मुस० महादेवी पुत्री स्व० श्री गजसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भदियाना तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

-----वादीगण

बनाम

1-द्वारिका 2-प्रहलाद 3-गम्भीर 4-विशाल 5-मिठ्ठू पिसरान स्व० श्री भेदराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम भदियाना तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

6-रामवीर पुत्र स्व०श्री महाराजसिंह 7-जतिन 8-करूआ पिसरान स्व० श्री महावीरसिंह

9-मुस० शारदा पत्नी स्व० श्री महाराजसिंह 10-रतनसिंह पुत्रश्री स्व० श्री भेदराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम भदियाना तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

11-पंजाब नेशनल बैंक भाखा प्रबन्धक बसईनबाव तामील जरिये प्रबन्धक

6-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ

दावा वास्ते बटवारा काश्त एवं

स्थाई निशेधाज्ञा

उपस्थिति-


1-श्री नबाबसिंह वगैरा - वादीगण

निर्णय

दिनांक : 6.7.2017

वादीगण की ओर से उपरोक्त उनवानी प्रकरण वास्ते बटवारा काश्त विवादित आराजी खसरा 30, 31, 32, 33, 212, 219, 222, 319, 564, 617, 622, 653, 674, 689, 693, 1156 वाके ग्राम भदियाना तहसील सैपऊ का प्रस्तुत किया गया। पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर गुणावगुण के आधार पर दिनांक 26.5.2017 को दावा वादीगण प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर बाई मीटस एण्ड बाउण्ड बटवारा किये जाने के आदेश दिये गये है तथा तहसीलदार सैपऊ को पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार अच्छी में अच्छी तथा बुरी में से बुरी भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

तहसीलदार सैपऊ द्वारा कैम्प के दौरान ही विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये। विभाजन प्रस्ताव पर उपस्थित पक्षकारों को सुना तथा तहसीलदार द्वारा प्रेषित



विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। वादीगण द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा डिक्री किये जाने पर सहमति जाहिर की। तहसीलदार सैपऊ द्वारा मुताबिक दर्ज रिकार्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये हैं। ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम भदियाना तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है।


1-द्रोपती पत्नी स्व०श्री गजसिंह, नबाबसिंह, बनैसिंह, सियाराम, भारतसिंह, बीरबलसिंह पुत्रान व महादेवी पुत्री स्व० श्री गजसिंह पिसरान स्व० श्री गजसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भदियाना तहसील सैपऊ जिला धौलपुर। राहिन पी एन बी शाखा बसईनबाब

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा	
1.	212/1	0.10	उत्तर
	219/1	0.09	पश्चिम
	222/2	0.11	पूरव
	319/1	0.05	पश्चिम
	617/2	0.11	मध्य
	564/1	0.05	पश्चिम
	564/4	0.04	उत्तर
	622/3	0.08	पूरव
	653/3	0.05	दक्षिण
	693	1.08	
	1156/3	0.08	दक्षिण

कुल 11 5.04

2-द्वारिका, प्रहलाद, गम्भीर, विशाल, मिठठू, रतनसिंह पिसरान भेदराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम भदियाना तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा	
1.	212/3	0.10	दक्षिण
	222/1	1.00	पश्चिम
	319/3	0.04	पूरव
	564/2	0.05	मध्य
	564/6	0.04	दक्षिण
	617/1	0.11	उत्तर
	622/2	0.07	मध्य में
	653/2	0.06	मध्य में
	674/2	0.14	दक्षिण
	689	0.12	



	1156 / 2	0.11	मध्य में
कुल	11	5.04	

3-रामवीर पुत्रश्री महाराजसिंह हिस्सा 1/2, शारदा पत्नी स्व0 महाराजसिंह, जतिन, करुआ पिसरान महाराजसिंह हिस्सा 1/2 जाति गुर्जर निवासी ग्राम भदियाना तहसील सैपउ जिला धौलपुर।

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा	
1.	212 / 2	0.10	मध्य में
	219 / 2	0.19	पूरव
	319 / 2	0.05	मध्य में
	564 / 3	0.05	पूर्व
	564 / 5	0.04	मध्य
	617 / 3	0.12	दक्षिण
	622 / 1	0.07	पश्चिम
	653 / 1	0.05	उत्तर
	674 / 1	1.05	उत्तर
	1156 / 1	0.12	उत्तर

कुल	10	5.04	
-----	----	------	--

4-द्रोपती पत्नी स्व०श्री गजसिंह, नबाबसिंह, बनैसिंह, सियाराम, भारतसिंह, बीरबलसिंह पुत्रान व महादेवी पुत्री पिसरान स्व० श्री गजसिंह हिस्सा बराबर 1/3 राहिन पी एन बी शाखा बसईनबाब द्वारिका, प्रहलाद, गम्भीर, विशाल, मिठठू, रतनसिंह पिसरान भेदराम हिस्सा बराबर 1/3, रामवीर पुत्रश्री महाराजसिंह हिस्सा 1/6, शारदा पत्नी महाराजसिंह, जतिन, करुआ पिसरान महावीरसिंह हिस्सा 1/6 जाति गुर्जर निवासी ग्राम भदियाना तहसील सैपउ जिला धौलपुर।

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा	
1.	30	0.05	
	31	0.05	
	32	0.06	
	33	0.05	
	564 / 7	0.02	पूर्व


कुल	10	1.03	
-----	----	------	--

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक-पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही तहसीलदार सैपउ को

Gmiz

आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बर के वावत् नियमानुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम की कार्यवाही करने के उपरान्त ही नामा0 की कार्यवाही करें । लगान के 20 गुणा राशि पर देय मुन्द्रांक शुल्क के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 6.7.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।


(विनोद कुमार मिश्रा)
उप खण्डाधिकारी
सैपऊ